न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 14 / 2023

प्रार्थीगण :–

01.जगदीश पुत्र अन्नाराम जी
02.छोटाराम पुत्र अन्नाराम जाति माली निवासीगण सालावास तहसील लूणी जोधपुर।

अप्रार्थीगण :–

01.इन्द्रसिह पुत्र पूनमचन्द्र जाति धांसी
02.सन्तोष पत्नि इन्द्रसिह जाति घांसी निवासीगण कबूतरो का चौक जोधपुर
03.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

अधिवक्ता उपस्थितः–

01.प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता हनूमान प्रजापत उपस्थित।
02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ईश्वरसिह चम्पावत उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 03/04/2024

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 50/2 रकबा 18 बीधा अर्थात 2.9137 हैक्टर वाके ग्राम सालावास मे आई हुई है उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 50/2 पूर्व मे कुल 20 बीधा की भूमि थी। उपरोक्त भूमि मे से 2 बीधा भूमि अप्रार्थीगण कय करने का प्रस्ताव प्रार्थीगण के समक्ष रखा। चुकी प्रार्थीगण को तत्समय पारिवारिक आवश्यकता के कारण रूपयो की आवश्यकता थी इसी वजह से प्राथीगण ने अप्रार्थीगण पर विश्वास करते हुए खसरा नम्बर 52/2 रकबा 20 बीधा मे से 2 बीधा भूमि अप्रार्थीगण को विकय करने हेतु सहमति प्रदान की और पक्षकरान के मध्य यह तय किया गया था कि खसरा नम्बर 50/2 रकबा 20 बीधा भूमि मे से 2 बीधा भूमि अप्रार्थीगण को बेचान की जायेगी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आपस मे पति पत्नि है इसलिए 15 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से एवम्र रकबा 1 बीधा 5 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से बेचाननामा निष्पादित किये जायेगे तथा बेचाननामा के बाद नामान्तरकरण की कार्यवाही होकर मोके पर नाप चौक करने के बाद अप्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि का कब्जा सुपुर्द किया जायेगा। उपरोक्त बेचाननामा की जा रही भूमि मुख्य सालावास बोरानाडा सडक पर 30 फुट की चौडाई मे होगी क्योकि प्रार्थीगण की उपरोक्त 20 बीधा भूमि चौडाई मे सडक पर कम लगती है इस कारण 30 फुट चौडी और कुल 2 बीधा तक लम्बाई मे भूमि का विकय किया जा रहा है। जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहमति तय हुई एवम्र अप्रार्थी प्रार्थीगण के प्रतिफल की राशि जो डी,एल,सी से अधिक होगी वह कब्जा सुपुर्द करते वक्त प्रार्थीगण को सुपुर्द कर देगे। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा नम्बर 52/2,50/5, व 50/6 कुल रकबा 20 बीधा भूमि पर जबरन कब्जा नही करे निर्माण कार्य नही करे एव राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सक्षम न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को समन जारी किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1,2 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थी गण सूचना के बावजूद उपस्थित नही।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि खेत ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा 50/2, 50/5, 50/6 कुल रकबा 20 बीधा की भूमि पर प्राथीगण काबिज है तथा आज दिन तक अप्रार्थीगण ने बेचान वक्त शर्तो की पालना नही की है और लालच मे आकर सडक पर 30 फुट चोडाई से अधिक भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है जिसके लिए अप्रार्थीगण ने अनेको बार नाजायदा कोशिश की परन्तु वह काययाब नही हुए परन्तु हाल मे ही दिनांक 03.04.2023 को अप्रार्थीगण द्वारा 30–40 भू माफिया एवम्र मजदूरो को लेकर जे,सी,बी लेकर मौके पर आये तथा उपरोक्त 20 बीधा भूमि पर लगी तारबन्दी को तोड कर भूमि को खूर्द बूर्द करने एवम्र मौके पर जबरदस्ती कब्जा करने एवम निर्माण करने पर उतारू हो गये। अप्रार्थीगण को ऐसा करने को कोई कानूनी अधिकार नही है और जोर जबरदस्ती करने पर उतारू है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक उक्त भूमि को बेचान नही करे तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे दखलअन्दाजी नही करे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव के तथ्यो को दोहरते हुए बहस मे कथन किया गया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि के खसरा 50/2, 50/5, 50/6 कुल रकबा 20 बीधा की भूमि मे से प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 50/2 रकाब 18 बीधा भूमि ग्राम सालावास मे आई हुई है खसरा नम्बर 50/2 का कुल रकबा 20 बीधा भूमि थी जिसमे से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 01 बीधा 15 बिस्वा भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा रकबा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण से सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि अदा कर विधिवत रूप से पंजीबद्व विक्रय विलेख के जरिये खरीद की गई थी तथा प्रार्थीगण ने दोनो बेचान नामे मे पडौस दर्शाकर व सलग्न नजीरी नक्शा पेश कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि का बेचान किया था तथा अप्रार्थीगण ने खरीद सुदा भूमि पर बेचान के समय कब्जा भी प्राप्त कर लिया था तथा बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2213 तहसीलदार लूणी ने दिनांक 25.01.200 को स्वीकृत किया गया था। प्रार्थीगण ने उक्त तथ्यो को गलत व मनगढत उल्लेखित किए है कि बेचाननामे के बाद नामान्तरकरण की कार्यवाही होकर मौके पे नाप चौक करने के बाद अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को भूमि का कब्जा सुपुर्द किया जाएगा। इस कारण उनको अलग से कब्जा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नही है अप्राथीगण संख्या 1 व 2 विक्रय पत्र मे लिखे गए शर्तो के अनुसार ही मौके पर काबिज है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 50/2, 50/5, 50/6 कुल रकबा 20 बीधा ग्राम सालावास, पटवार क्षेत्र सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर की कृषि भूमि बाबत प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण अपने अपने खातेदारी हिस्सो पर सयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे थे तथा शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे है जिससे प्रार्थीगण स्वीकार कर रहा है इस कारण प्रार्थीगण उक्त भूमि को विवादग्रस्त साबित कराने मे असफल रहा। ऐसी स्थिति मे

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रथम दष्ट्या मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होना पाया जाता है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णनीय क्षति का बिंदु साबित करने में असफल रहे है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में कम हो।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

निर्णय आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाय गया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी